(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 64 / 2024
निर्णय दिनांक:– 12.09.2024
बइजलास:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

उनवान

1. अनोखी देवी पत्नी सत्यनारायण जाति खटीक निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला दूदू राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. बालू पुत्र किशना, जाति बैरवा, निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज.।
2. रामलाल पुत्र लक्ष्मण दत्तक पुत्र भैरू, जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज.।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति अधिवक्ता:– श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील प्रार्थी
श्री विशाल शर्मा वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2
पैरोकार सरकार
प्रार्थना पत्र बाबत संशोधित किये जाने तरमीम

निर्णय **दिनांक 12.09.2024**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजीयात जिसके आराजी खसरा नंबर 422/5 रकबा 0.5058 हैक्टेयर वाके ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है। जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त होकर शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। उपर्युक्त विवादग्रस्त आराजी के पूर्व में मूल खसरा नंबर 422 था परन्तु नक्शा ट्रेस में मूल नं. ही चला आ रहा था जिसकी विधिवत तरमीम नहीं हो रखी थी। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य रोड के लगवा काबिज काश्त करती आयी है। परन्तु वर्तमान ने राजस्व कार कानूनगों ने डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत तरमीम करते समय बिना भौतिक कब्जे की जांच किये गलत रूप से नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी जिसके अनुसार प्रार्थीया के खसरा नंबर में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं रहा जबकि मौके पर शुरू से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार रोड के लगवा काबिज काश्त चली आ रही थी। परन्तु जो तरमीम की गई है वह गलत रूप से बिना कब्जे के व बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना की गई तरमीम है। जो काबिले दुरूस्ती है। खसरा नंबर 422/5 पर प्रार्थीया अपने कब्जेनुसार मौके पर काश्त करती चली आर रही है परन्तु नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम हो जाने से जिसकी जानकारी प्रार्थीया को रेवेन्यू की नकलने निकलवाने से हुई। तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2023 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत की

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 18.03.2023 को श्रीमान तहसीलदार फागी के समक्ष पेश की गई। जिसके मुताबिक तरमीम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो कहा कि उक्त तरमीम दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थीया को श्रीमान के समक्ष तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। हाल ही में दिनांक 21.05.2024 को तहसीलदार महोदय फागी द्वारा उक्त तरमीम को दुरूस्त करने से इंकार कर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु कहने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य मूल विवाद गलत तरमीम को लेकर है प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य मूल विवाद गलत तरमीम को लेकर है प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजी को काफी उन्नत व उपजाऊ कर मौके पर काबिज है परन्तु नक्शा ट्रेस में तरमीम वैधानिक रूप से न होकर बिना भौतिक कब्जे की जांच किये बिना गलत रूप से कर दी गई है जो काबिले दुरूस्त है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती पेश करना लाजमी आया है। विवाद की विषय वस्तु व पक्षकारान का विवाद कारण श्रीमान के श्रेत्राधिकार होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजीम आया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से वकील श्री विशाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा इकबालिया जवाब दावा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे बताया की हम प्रतिवादीगण की आराजी ख0न0 422/4, 442/6 के मध्य वादी की आराजी ख0न0 422/5 स्थित है। हम पक्षकारान सभी की आराजी रोड के लगवा है तथा मौके पर काबिज काश्त है परन्तु मौके पर कब्जे के विपरीत जाकर हम पक्षकारान की तरमीम गलत कर दी गई है जिसको मौके पर काबिज व प्रस्तावति नक्शें के अनुसार तरमीम कर दी जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी सं0 3 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 अधिवक्ता अपनी बहस मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मुताबिक मौका कब्जानुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाके ग्राम परवण के खाता सं0. 3 मे प्रार्थीया तथा खाता सं0 119 मे अप्रार्थी सं0 1 व खाता सं0 91 मे अप्रार्थी सं0 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपने जबाब मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। पैरोकार सरकार ने भी जबाब प्रस्तुत कर सलंग्न नक्शानुसार मौके पर काबिज होना जाहिर किया है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम उपतहसीलदार निमेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व इकबालिया जबाब के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 422/5 रकबा 0.5058 हैक्टेयर वाके ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू में स्थित आराजीयात की उपतहसीलदार निमेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/9/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला-दूदू